

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-4/2017/


दिनांक:

-:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(1)एफ.डी (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बेन्ड/चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	भानुप्रकाश शर्मा, नर्स-1	कोटा	21.10.89	21.10.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
2	विवेन्द्र कुमार भारद्वाज, नर्स-1	कोटा	15.05.87	15.05.14 27 वर्ष	15600-39100	6000
3	सुभाष चन्द्र छीपी, नर्स-1	जयपुर	24.06.89	24.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
4	सुरेन्द्र सिंह यादव, नर्स-1	जयपुर	04.07.89	04.07.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
5	सत्यप्रभा, नर्स-1	उदयपुर	23.05.87	23.05.14 27 वर्ष	15600-39100	6000
6	सत्यनारायण सैनी, नर्स-1	झुन्झुनू	03.02.86	03.02.13 27 वर्ष	9300-34800	4800
7	मोली पी.सी., नर्स-1	जोधपुर	22.09.89	22.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8	मीरा शर्मा, नर्स-2	क.रा.बी.-4, जयपुर	30.01.99	30.01.17 18 वर्ष	15600-39100	5400

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-4/2017/235

दिनांक: 12-04-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, (ई.एस.आई. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षक, टी.बी. हास्पिटल बड़ी, उदयपुर/संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/जयपुर प्रथम/झुन्झुनू।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा कोटा/कोटपूतली जयपुर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. औष.-4, जयपुर।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विराटनगर।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर